न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सरवाड़ जिला अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 44/2015

श्री अजय पुत्र प्रभात जाति कीर, निवासी सरवाड़ तहसील सरवाड़ जिला अजमेर
— प्रार्थी

बनाम

1. श्री मांगी पत्नी छोटू।
2. फूलचंद पुत्र छोटू।
3. चंदमल पुत्र छोटू।
   समस्त जातिगण कीर, निवासीगण सरवाड़, तहसील सरवाड़ जिला अजमेर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सरवाड़ जिला अजमेर।

— प्रतिवादी

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वकील 1. श्री दौलत सिंह राठौड़, प्रार्थी।
2. श्री शैलेन्द्र जैन, अप्रार्थी।

निर्णय

दिनांक 08.11.2019

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 का प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। वर्णित आराजीयात मौजा ग्राम सरवाड़ पटवार हल्का सरवाड़ तहसील सरवाड़ में स्थित है जिसक विवरण निम्न प्रकार से है।

खाता सं.	खसरा नं.	रकबा	किस्म
1120—1056	1143/1	01—01—05	गै.मु.ता.1
	1146/7	01—13—00	गै.मु.ता.1
	1808/12	00—09—17	बा. 1
	1808/5	00—02—06	चा. 1
	किता 4	03—06—08	

यह कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के संयुक्त पैतृक कब्जे स्वामित्व की आराजीयात है। प्रार्थी के दादा स्व. श्री छोटू की आराजीयात है जो जरिये विरासत अप्रार्थी सं. 1 के नाम होने एवं अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 वादी को अपने हक अधिकारों से महरूम रखने के दुराशय से उक्त वर्णित आराजीयात को खुर्द—बुर्द करने पर आमादा है। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 वादी को उक्त वर्णित आराजीयात पुश्तैनी आराजीयात होने से जन्म से ही हक अधिकार निहित है। अप्रार्थी सं. 1 अप्रार्थी सं. 2 व 3 के बहकावे में आकर राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम इन्द्राज होने का नाजायज लाभ उठाते हुये जबरन वादी को बेदखल करने पर आमादा है। जिससे अप्रार्थीगणों को स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किये जाने को निवेदन किया। अप्रार्थी सं. 1 अप्रार्थी सं. 2 व 3 के बहकावे में आकर प्रार्थी के पुश्तैनी संयुक्त पैतृक मकान को जबरन अन्य दीगर व्यक्ति को बेचान कर दिया एवं प्रार्थी को उक्त मकान से बेदखल कर बेघर कर दिया तथा

Scanned by CamScanner

प्रार्थी ने इस हेतु अप्रार्थी सं. 1 को नहीं करने हेतु निवेदन किया तो अप्रार्थी सं. 1 ने एलानिया धमकी दी कि आज तो हमने तुम्हें मकान से बेदखल किया है तथा उक्त वर्णित जायदाद हमारे नाम पर है जिन्हें हम अन्य दीगर व्यक्ति को हस्तान्तरित कर देगें जिस कारण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना न्यायोचित एवं आवश्यक प्रतीत हुआ। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 द्वारा धमकी दिये जाने के पश्चात प्रार्थी द्वारा तहसील में सम्पर्क कर रिकॉर्ड के बारे में पता लगाये जाने पर उक्त वर्णित संयुक्त पैतृक आराजी अप्रार्थी सं. 1 के नाम होने से नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा है। अप्रार्थी सं. 1 येन–केन प्रकारेण प्रार्थी को अपने हक अधिकारों से महरूम करने पर आमादा है तथा उक्त वर्णित संयुक्त पैतृक आराजीयात को अपने अकेले के नाम करवाकर अन्य दीगर व्यक्ति को रहन, बेचान करना चाहता है। उक्त वर्णित भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 अपने हिस्से के अनुसार काश्त कर अपनी उपज प्राप्त करते चले आ रहे है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 के संयुक्त रूप से कब्जे काश्त, उपयोग, उपभोग चली आ रही है। प्रार्थी अपने हिस्से का खातेदार काश्तकार है एवं घोषित होने का अधिकारी है। प्रार्थी द्वारा प्रतिवादी सं. 1 को दिनांक 20.06.2015 को मौखिक रूप से सूचित कर स्वंय के हिस्से की सम्पति का विभाजन कर दिये जाने की मांग की एवं कब्जेकाश्त में दखल न किये जाने का निवेदन किया परंतु अप्रार्थी सं 1 नहीं माने एवं वाद वर्णित भूमि बाबत नाजायज तरीके अपनाकर अपने नाम दर्ज कराकर दीगर को रहन, बेय, हस्तांतरित इत्यादि करने पर तुले है जिससे उन्हें न्यायहित में जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद करने का निवेदन किया। उक्त आराजीयात का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है एवं घोषित होने के अधिकारी है तथा पक्षकारान् के मध्य आपसी विवाद रहने एवं प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि की तरकियात करने में व्यवधान महसूस कर रहा है। अतः प्रार्थी उक्त भूमि का विभाजन कराकर मौके पर बटवारा किया जाकर भौतिक रूप से संभलाया जाना आवश्यक है तथा राजस्व अभिलेख में इसी अनुसार नया खाता कायम किया जाकर व लगान कायम किया जाकर दर्ज किया जाना आवश्यक है। यह कि अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 अपने उक्त नाजायज उदेश्य में सफल हो जाते है तो प्रार्थी को अजहद क्षति का समाना करना पड़ेगा जिसका मूल्यांकन मुद्रा में नहीं आका जा सकेगा।

प्रार्थी द्वारा निम्न दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए:–

- प्रतिलिपी जमाबंदी ग्राम सरवाड़ संवत् 2070–2073
- प्रतिलिपी भू प्रबंध विभाग, (प्रमाणीकरण हेतु पर्चा नोटिस)

अप्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित। बहस एकपक्षीय सुनी गयी। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में निवेदन किया गया कि विवादित आराजी पैतृक है। प्रार्थी, अप्रार्थी सं. 1 को पोता है। अप्रार्थी सं. 2 व 3 इसे अपने नाम करवाना चाहते है। अतः इसे अपने नाम करवाना चाहते है। अतः वाद निस्तारण तक अप्रार्थी को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें। प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं बहस के तथ्यों का गहन मनन व अवलोकन किया गया। प्रार्थी के वांछित रिलीफ बाबत विधिक विचार किया गया। चूंकि प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2070–2073 ग्राम सरवाड़ से स्पष्ट है कि अप्रार्थी सं. 1 वर्तमान में विवादित आराजी खाता सं. नया–पुराना 1120–1056 रकबा 3–06–08 का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है।

Scanned by CamScanner

प्रार्थी के वर्तमान में विवादित आराजी पर कोई स्वत्व प्रमाणित नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का विवादित आराजी के संबंध में प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं पाया जाता है।

विवादित भूमि का प्रार्थी न तो खातेदार है ऐसी स्थिति में विवादित आराजी पर या विवादित आराजी के किसी भाग पर प्रार्थी का कब्जा हो ऐसा कोई साक्ष्य प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके विपरीत अप्रार्थी सं. 1 विवादित भूमि का अभिलिखित खातेदार है और अभिलिखित खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं किये जाने की अवधारणा है। इस प्रकार प्रार्थी को विवादित भूमि पर काबिज माना जाना उचित नहीं पाया गया है। प्रार्थी के पृथम दृष्टया विवादित आराजी पर स्वत्व प्रमाणित नहीं होने की दृष्टि में प्रार्थी का विवादित आराजी पर कब्जा हो ऐसा भी प्रतीत नहीं होता है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं पाया जाता है।

प्रस्तुत प्रकरण पर श्रीमती सुमित्राबाई बनाम ब्रजमोहन, आर.आर.डी. 2000 पेज 28 में स्पष्ट उल्लेखित है कि "सुविधा के संतुलन के लिए यह देखना होगा कि निषेधाज्ञा ने देने से अधिक अनिष्ट व असुविधा होगी वनिस्पत निषेधाज्ञा जारी होने से"।

प्रार्थी ना तो विवादित भूमि का अभिलिखित खातेदार है न ही उसका भूमि पर कब्जा प्रमाणित है। अभिलिखित खातेदार के खिलाफ निषेधाज्ञा जारी किया जाना विधिसंगत भी नहीं है। ऐसी स्थिति में अभिलिखित खातेदार का सेटल पजेशन मांगते हुये अपरिमित क्षति का बिन्दु भी अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में सिद्ध होता है।

प्रार्थी को विवादित आराजी या उसके हिस्से पर क्या हक अख्त्यार है या होने चाहिए इसका विनिश्चय मूलवाद पर सम्यक् साक्ष्योपरांत तथा सम्यक् विचारण उपरान्त विधि अनुसार मेरिट पर होना है न कि प्रार्थी के इस प्रार्थना पत्र के आधार पर।

अतः उपर्युक्त विवेचना अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है एवं दिनांक 02.07.15 को जारी अंतरिम निषेधाज्ञा समाप्त की जाती है।

पत्रावली बाद तामील तकमील नम्बर से कम की जावे तथा निर्णित में गणना की जाकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 08.11.2019 मेरे द्वारा लिखाया जाकर विवृत्त न्यायालय में सुनाया

(तारामती वैष्णव)
उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Taramati Vaishnava
Date: 2020.01.23 15:06:22 IST
Reason: SelfAttested
Location: